प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 25.08.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त 1. सरफुद्दीन पुत्र किशनदार उर्फ ईशीमदार निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 25.08.2025 को वहदग्राम साखी के पास से कुल 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सरफुद्दीन पुत्र किशनदार उर्फ ईशीमदार निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 311/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 राहुल प्रसाद, का0 सन्नी यादव, का0 अंकित पटेल।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना***के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रंजना पुत्री रामआसरे ग्राम खैरागढ़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सतीश मिश्रा, हे0का0 इन्द्रजीत यादव व म0का0 प्रिया तिवारी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 608 वाहनों से 6,58,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 609 वाहनों से 6,58,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त हरेन्द्र राय पुत्र स्व0 राघवेन्द्र राय निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 25.08.2025 को देवापार चौराह के पास से कुल 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. हरेन्द्र राय पुत्र स्व0 राघवेन्द्र राय निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 773/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हो0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 उमेश कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 रंजन कुमार।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता मुक्तेश्वर पुत्र स्व0 मुरली निवासी बनकसिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 325/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद संतकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 25.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- मुक्तेश्वर पुत्र स्व0 मुरली निवासी बनकसिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह , का0 आशु यादव।